रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 1998 (भाद्रपद 28, 1920)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1998 (BHADRA 28, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	587
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	756
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1387
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	871
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	857
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	3261
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	205
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

1—241 GI/98

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	587
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	756
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1387
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
[PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules or Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	871
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	957
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3261
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	205
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.]

विधि-न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली–1, दिनांक 24 अगस्त, 1998

सं. ए-42011/9/97-प्रशा० 11(खण्ड):—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री मुख्तार सिंह सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

डी० पी० सैनी
अवर सचिव,

दिनांक 2 सितम्बर 1998

सं० ए 42011/9/97-प्र० II (खण्ड II):—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री ए० के० चतुर्वेदी उप निदेशक (निरीक्षण) को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

डी० पी० सैनी
अवर सचिव,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 1998

संकल्प

सं० डी० एस० टी/आई० एन० टी/सैल/98:—भारत सरकार ने विदेशी सरकार द्वारा उस देश में कार्यरत कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ कर जाने के लिए नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई को चिन्ता के साथ नोट किया है।

2. मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उन वैज्ञानिकों, जिन्हें विदेशी सरकारों द्वारा देश छोड़कर जाने के लिये कहा जा रहा है, के हितों की देखभाल के लिये और उनकी विशेषज्ञता का उपयोग देश के अन्दर करने तथा यदि आवश्यक हुआ तो उनके रोजगार के लिये उपयुक्त अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्यावर्तित वैज्ञानिकों का प्रकोष्ठ (सी० आर० एस०) सीधे सचिव, डी० एस० टी० के अन्तर्गत कार्य करेगा। डा० (श्रीमती) सुलभा गुप्ता, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। सी आर एस के विस्तृत कार्य इस प्रकार होंगे :

(क) भारतीय मिशनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रकोष्ठ स्थापित करने के बारे में सुझाव देना: वैसे देशों जिन्होंने भारत के विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा की है, में स्थित मिशनों से प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क किया जायेगा।

(ख) मिशनों को आगे यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें किसी भी कार्रवाई, जो उन सरकारों द्वारा अवेक्षित है जिन पर वे प्रत्यायित है, के प्रति सतर्क रहना चाहिए तथा इस प्रकार की गई अथवा अवेक्षित कार्रवाईयों से प्रकोष्ठ को अवगत कराया जाए।

(ग) मिशनों को आगे यह सुझाव दिया जाए कि वे डी० एस० टी में इस प्रकोष्ठ के मौजूद रहने की सूचना प्रसारित करें तथा प्रभावित वैज्ञानिकों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने बायोडाटा देते हुए प्रकोष्ठ के साथ सम्पर्क करें। यदि आवश्यक हो तो मिशनों को भी उनका बायोडाटा भेजने में सहयोग करना चाहिए।

(ब) मिशन किसी प्रभावित वैज्ञानिक से संदर्भ प्राप्त होने पर प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्रवाई करेगा।

(i) यदि संबंधित वैज्ञानिक सरकार के किसी संस्थान/विभाग में लियन पर हों तो उन्हें वापस बुलाने के लिये उस विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

(ii) यदि कोई वैज्ञानिक किसी विभाग/संस्थान में लियन पर न हो तो उनका मामला वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए डी० जी०—सी एस आई० आर० को भेज दिया जाएगा।

(iii) यदि उक्त दोनों मामलों के अलावा कोई मामला सामने आता है तो मुद्दे पर देश के अन्दर संस्थानों से बातचीत की जाएगी ताकि यथा साध्य स्थानन संभव हो सके और ऐसी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि एसे उम्मीदवारों को आमेलित करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

3. आरम्भ में प्रकोष्ठ 6 महीनों की अवधि के लिए प्रचालन में होगा जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों भारत के वैज्ञानिक संस्थानों तथा विदेशों में भारतीय मिशनों को प्रचालित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एम० के० सरदाना
संयुक्त सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली–110003, दिनांक 01 सितम्बर 1998

संकल्प

सं० मविवि/18/4/98–स्था०:—भारत सरकार ने गोवा में अपने वर्तमान सम्बद्ध कार्यालय अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र, जिसे अब से ए० एस० सी० के रूप में जाना जाएगा को अंटार्कटिक एवं समुद्र से संबंधित परियोजनाएं अनुसन्धान एवं विकास (आर० एण्ड डी०) प्रारम्भ करने हेतु स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित एवं परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार ए०एस०सी० को गोवा के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत 26–5–98 को स्वशासी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, इसका पंजीकृत कार्यालय वास्को-डी-गामा गोवा में होगा। ए० एस० सी० महासागर विकास विभाग (मविवि) की देखरेख में सोसाइटी के रूप में कार्य करेगा एवं मविवि द्वारा सुझाए गए महासागर विकास विभाग के एसे क्षेत्रों में आवश्यक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक निवेश उपलब्ध कराएगा।

2 ए० एस० सी० के मुख्य उद्देश्य है।

(क) ध्रुवीय (अंटार्कटिक/आर्कटिक विज्ञान) एवं समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान प्रारम्भ करना, सहायता करना, बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, समन्वय करना एवं संचालित करना।

(ख) ध्रुवीय एवं इससे जुड़े विज्ञानों के समसामयिक, चुनौतीपूर्ण एवं उभर रहे अन्य अग्रणी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना, संचालित करना एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख उभर रहे क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु क्षमता रखने वाले उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

(ग) अनकूल ध्रुवीय अनुसंधान प्रारम्भ करना जो अंटार्कटिक, आर्कटिक एवं अन्य सागरों में भारत की भावी वाणिज्यिक रुचियों हेतु ज्ञान आधार का निर्माण करना।

(घ) ध्रुवीय विज्ञान एवं संभारतंत्र के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकसित करना।

(ङ) अंटार्कटिक में अनुसंधान आधार स्थापित करना एवं देखरेख करना तथा अंटार्कटिक अभियान से संबंधित सभी कार्यकलाप करना।

(च) महासागर विकास विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य कार्यकलाप जो ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसन्धान एवं विकास से संबंधित हो।

3. सोसाइटी का प्रशासन एवं प्रबंधन, शासी परिषद में निहित है। शासी परिषद की संरचना निम्नलिखित है। :—

1. डा० ए० ई० मुत्तुनायगम, सचिव, महासागर विकास विभाग— पदेन अध्यक्ष
2. प्रो० यू० आर० राव, सदस्य, अन्तरिक्ष आयोग— सह अध्यक्ष
3. डा० हर्ष गुप्ता, निदेशक, एन० जी० आर० आई० —पदेन
4. प्रो० बी० एल० के० सोमायाजुलू, पी० आर० एल०
5. डा० जार्ज जोसेफ, निदेशक, ए० एम० सी०—पदेन
6. डा० ई० डीसा, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा—पदेन
7. श्री पी० के० ब्रह्मा संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार महासागर विकास विभाग—पदेन वित्त सदस्य

8. श्री ए० के० चुग, संयुक्त सचिव (प्रशासन) महासागर विकास विभाग—पदेन

9. प्रो० ए० के० कश्यप, वनस्पति विभाग, बी० एच० यू०

10. डा० वी० पी० संदलेश, मुख्य नियंत्रक, आर० एण्ड डी०, डी० आर० डी० ओ०—पदेन

11. डा० पी० सी० पाण्डेय, सलाहकार, ए० एच० सी०, गोवा—पदेन सदस्य सचिव

4. शासी परिषद को सोसाइटी के मामलों में प्रबन्ध हेतु परामर्श समिति द्वारा सहायता प्राप्त होगी। इस समिति (समितियों) का गठन शासी परिषद द्वारा किया जाएगा।

5 यह सोसायटी, लाभ रहित आजाणिज्यिक अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में सोसाइटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ संगति रखते हुए कार्य करेगी। सोसाइटी को वित्तीय आवश्यकताएं जहां तक संभव हो सकेगा महासागर विकास विभाग द्वारा पूरी की जाएंगी। इस संस्थान को अपने कार्य-कलापों हेतु अन्य सरकारी एवं विधिक गैर सरकारी एवं बाह्य स्रोतों से धन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. गोवा में महासागर विकास विभाग के सम्बद्ध कार्यालय के कर्मचारी तथा उसके द्वारा समन्वित एवं किए जाने वाले विभिन्न अभियानों से संबन्धित कार्यकलाप सोसाइटी को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

गोवा में महासागर विकास विभाग के सम्बद्ध कार्यालय की भूमि एवं भवन को छोड़कर अन्टार्कटिक स्थित भारतीय केन्द्र का सभी सामान इत्यादि विभिन्न अभियानों सहित सभी परिसम्पत्तियां उत्तरदायित्व एवं अवसंरचना भी सोसाइटी को स्थानान्तरित हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य सभी संबंधित को सप्रेषित की जाए।

ए० के० चुग
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 24th August, 1998

No. A-42011/9/97-Admn. II(Pt.)— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Muktar Singh, Assistant Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

D. P. SAINI, Under Secy.

The 2nd September, 1998

No. A-42011/9/97-Admn. II(Pt. II)—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri A. K. Chaturvedi, Deputy Director (Inspection) at Headquarters in the Department of Company Affairs for the purpose of the Section 209-A.

D. P. SAINI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 30th July, 1998

RESOLUTION

No. DST/INT/CELL. S/98—The Government of India have noted with concern the action of a foreign Government in serving notices on some of the Indian Scientists working in different institutions in that country to quit.

2. After careful consideration of the matter, the Government has taken a decision to set up a Cell in the Department of Science & Technology to look after the interests of the Scientists who are being asked by the foreign governments to quit with the twin objective of making use of their expertise within the country and also locating suitable avenues for their employment, if necessary. The Cell for Repatriated Scientists (CRS) will operate under the direct charge of Secretary DST. Dr. (Mrs.) Sulbha Gupta, Director, International Division will function as the Nodal Officer for the Cell. The functions of the CRS will be broadly as follows :—

(a) to advise the Indian Missions about the setting up of the Cell in DST : The Missions in the countries which have announced measures against India will be approched on priority basis;

(b) the Missions would be advised further to be alert on any similar action that may be contemplated by the Governments to which they are accredited and the Cell to be kept informed of such actions taken or contemplated;

(c) Missions may be advised further to disseminate the information regarding the existence of this Cell in DST and the affected scientists may be requested to correspond with this Cell giving their Bio-data. The Missions should also facilitate the transmission of their Bio-data, if necessary;

(d) On receipt of a reference from the Mission or an affected scientist, the Cell would take action as follows :—

(i) If the scientist concerned has a lien on an institution/department of the Government, contacts would be established with that Department to facilitate his return;

(ii) If the scientists does not have lien with any Department/Institution, his case would be referred to DG-CSIR for considering his case of being accorded necessary facilities under the Scientist Pool scheme.

(iii) If any case falls outside the above two actions, the matter would be pursued with the institutions within the country for possible placement as feasible and such institutions would be expected to take necessary action in facilitating the absorption of such candidates;

3. The Cell will be operative initially for a period of six months after which it will be reviewed.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of Government of India, Scientific Institutions in India and Indian Missions abroad.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. M. K. SARDANA, Joint Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi -110003, the 1st September, 1998

No. DOD/18/4/98-Estt.—The Government of India have decided to set up the Antarctic Study Centre hereinafter referred to as the ASC as an autonomous Registered Society by converting its present attached office at Goa for undertaking projects, Research & Development (R&D) related to the Antarctica and Oceans. Accordingly, ASC has been registered as an autonomous Society under the Societies Registration Act of Goa on 26-05-98 with its registered office at Vasco-da-gama, Goa. The ASC will function as a Society under the supervision of the Department of Ocean Development (DOD) and will provide necessary scientific/technological inputs in such areas of ocean development as the DOD may decide.

2. The main objectives of ASC are to :

(a) undertake, aid, promote, guide, co-ordinate and conduct research in the field of polar (Antarctic/Arctic) science and oceanography.

(b) promote, guide, conduct in other related frontier areas of polar and allied sciences which are contemporary, challenging and emerging and to specially foster those areas which have a potential for application in major emerging areas of science and technology.

(c) initiate programmes of strategic polar research which will create a knowledge base for future commercial interests of India in the Antarctic, Arctic and the oceans.

(d) develop technology in the fields of polar science and logistics.

(e) establish and maintain the research base at Antarctica and carry out all activities related to Antarctica expedition.

(f) any other objectives relating to polar and ocean research and development as may be set by the DOD

The administration and Management of the society will be vested in the Governing Council. The composition of the Governing Council is as follows :—

1. Dr. A.E. Muthunayagam, Secretary, DOD —Ex-officio Chairman
2. Prof. U. R. Rao, Member, Space, Commission —Co-chairman
3. Dr. Harsh Gupta, Director, NGRI —Ex-officio
4. Prof. B.L.K. Somayajulu, PRL
5. Dr. George Joseph, Director, SAC —Ex-officio

6.	Dr. E. Desa, Director, NIO, Goa	—Ex-officio
7.	Sh. P. K. Brahma, JS&FA, DOD	—Ex-officio Member Finance
8.	Sh. A. K. Chugh, JS(A), DOD	—Ex-officio
9.	Prof. A. K. Kashyap, Deptt. of Botany, BHU.	
10.	Dr. V. P. Sandlas, Chief Controller, R&D, DRDO.	—Ex-officio
11.	Dr. P. C. Pandey, Adviser, ASC, Goa	—Ex-officio-Member Secretary

4. The Governing Council shall be assisted by Advisory Committee(s) for the management of the affairs of the society, The committee(s) will be constituted by the Governing Council.

5. The Society will function as a non-profit, non-commercial, Research & Development Organisation in consonance with the aims and objectives o ifthe Society. The financial requirements of the Society will be met as far as possible by DOD. The Institute is however, also empowered to obtain funds for its activities from other governmental and non-governmental and external sources.

6 The various expendition related activities co-ordinated and carried out by and the employees of the attached office of DOD would stand transferred to the Society.

The assets, liablilities and infrastructure including those of the various expendition and the establishment at the Indian Station in Antarctica except the and and building of the attached office of DOD at Goa would also stand transferred to the Society.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of the India and all others concerned.

A. K. CHUGH, Joint Secy

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi 1998